कैम्प कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

प्रशासनिक आदेश संख्या–274 दिनांक 06 अगस्त, 2020

आदेश

मेरे प्रशासनिक आदेश संख्या–271 दिनांक 05.08.2020 के द्वारा दिनांक 07.08.2020 से सिविल कोर्ट खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्र कमांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June 2020 के गाइडलाइन संख्या–4 में यह अपेक्षा की गयी कि सिविल कोर्ट में दो ऐसी कोर्ट इंगित की जायेगी जो वर्चुअल कोर्ट के रूप में काम करेगीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के प्रकाश में मेरी स्वयं की न्यायालय आवश्यक जमानत प्रार्थनापत्रों व एडमीशन्स की सुनवाई हेतु वर्चुअल कोर्ट के रूप में काम करेगी और आवश्यक जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई व निस्तारण वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से 10.30 बजे से 12.00 बजे तक होगी तथा एडमीशन्स की सुनवाई समय 2.00 बजे से 3.00 बजे तक होगी। इसी प्रकार वर्चुअल कोर्ट के रूप में न्यायिक कार्य करने वाली सी0एम0एम0, कानपुर नगर की दूसरी कोर्ट होगी जिसमें आवश्यक जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम(वीडियो कान्फ्रेसिंग) से 12.05 बजे से 1.30 बजे तक की जायेगी। विद्वान अधिवक्ता अपने कम पर व अभियोजक Social Distancing के साथ वर्चुअल कोर्ट नं0–29 में उपस्थित होगें, अपनी–अपनी बहस करेगें तथा बहस के पश्चात अधिवक्ता तुरन्त वर्चुअल कोर्ट रूम से बाहर चले जायेगें जिससे दूसरा अधिवक्ता अपने कमानुसार आकर बहस कर सके। मैं अपने टाइम स्लाट में अपने विश्राम कक्ष से अथवा न्यायालय कक्ष से सुनवाई करूँगा, इसी प्रकार सी0एम0एम0 अपने आवंटित टाइम स्लाट में अपने न्यायालय व विश्राम कक्ष में सुनवाई करेगें तथा उस टाइम स्लाट में अधिवक्ता एक–एक करके अपने कम पर वर्चुअल कोर्ट सं0–29 में उपस्थित होगें, बहस करेगें।

आदेश की प्रति न्यायालय की वेबसाइट में डाली जाये तथा संबंधित सूचित हो।

दिनांक 06.08.2020

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।
DISTRICT JUDGE
KANPUR NAGAR

आदेश की प्रतिलिपि दोनो बार एसोसिएशन को भेजी जाये।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।
DISTRICT JUDGE
KANPUR NAGAR